क्रमांक 22/94/96-3 जी.एस. III

पेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला, हिसार, गुड़गांव तथा रोहतक, मण्डल तथा उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी (सिविल)
2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 6-5-1997

विषय :- अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अपंग व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान करना ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आप का ध्यान सरकार के पत्र क्र. 22/94/96-3जी. एस. III, दिनांक 26-9-96 की ओर ध्यान दिलाने व यह कहने का निर्देश हुआ है कि सरकार के ध्यान में आया है कि कुछ विभाग इन हिदायतों का दृढ़ता से पालन नहीं कर रहे हैं । अतः आप से पुनः अनुरोध है कि अनुसूचित जातियों/जन जातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी सरकारी हिदायतों की दृढ़ता से पालन की जाए तथा इन हिदायतों की विभिन्न स्तरों पर परिपालन रैगुलर तौर पर चैकिंग की जाए और इस सम्बन्ध में इन जातियों से सम्बन्धित उम्मीदवारों की ओर से प्राप्त होने वाले प्रतिवेदनों पर तत्परता से कार्यवाही करते हुए समस्याओं का समाधान तुरन्त किया जाए ताकि इन जातियों के आरक्षण की उल्लंघना से सम्बधित केसिज में कमी लाई जा सके ।

2. इस के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करें कि इन श्रेणियों के कर्मचारियों की समस्याओं से सम्बन्धित अर्ध वार्षिक रिपोर्ट निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग को समय पर भेजी जाए ।

3. कृपया इन हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाए ।

भवदीय,
आर0 डी0 गुगनानी,
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. सभी वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार ।
2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा: क्र. 22/94/96-3जी.एस. III दिनांक, चण्डीगढ़ 8-5-1997

पृ. क्र. 22/94/96-3जी. एस. III दिनांक, चण्डीगढ़ 8-5-1997

एक प्रति निदेशक, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़ को उनके पत्र क्र. ई. सी.-3/97/3282, दिनांक 29-1-97 के सन्दर्भ में सूचनार्थ भेजी जाती है ।

उनसे अनुरोध है कि सभी विभागाध्यक्षों से प्राप्त अर्ध वार्षिक रिपोर्ट को कन्सोलीडेट करके निर्धारित प्रोफोर्मा ं सचिव, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति राष्ट्रीय आयोग भारत सरकार, लोक नायक भवन, 5वी. मंजिल, नई दिल्ली को निर्धारित समय पर भेज दिया करें ।

भवदीय,
आर0 डी0 गुगनानी,
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।